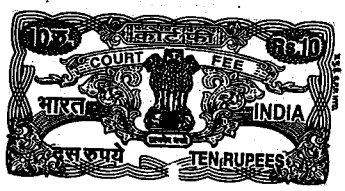

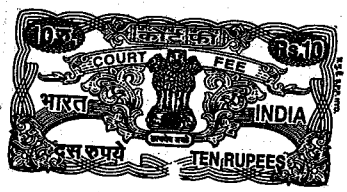

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर,(केम्प भोपाल) मध्य प्रदेश

नि. /3056/II/15 निगरानी कमांक /2015

1-रामाधार आत्मज रंगलाल जाति कीर,

2-चंम्पालाल आत्मज रंगलाल जाति कीर,

3-देवराम आत्मज रंगलाल जाति कीर,

4-मांगीलाल आत्मज गोरेलाल जाति कीर,

5-कमलाबाई पुत्री रंगलाल जाति कीर,

6-वसुबाई पुत्री रंगलाल जाति कीर,

समस्त निवासीगण ग्राम सातदेव तहसील नसरूल्लागंज,

जिला सीहोर म.प्र. .... निगरानी कर्ता,

विरूद्ध

छोगेलाल आत्मज मुल्लु जाति गोड,

निवासी-ग्राम सातदेव (निमाखेडी) तहसील नसरूल्लागंज,

जिला सीहोर म.प्र. ....प्रतिनिगरानी कर्ता,

निगरानी अर्न्तगत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता

श्रीमान जी,

निगरानीकर्तागण माननीय अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय नसरूल्लागंज जिला सीहोर के प्रकरण कमांक- 03/अ-23/2009-10 छोगेलाल बनाम रामाधार व अन्य मे पारित आदेश दिनांक-0 6/07/2015 व 11/08/2015 से दुःखी व असंतुष्ट होकर निम्नलिखित तथ्यो व ठोस आधारो पर निगरानी प्रस्तुत करते है।

:: निगरानी के संक्षिप्त तथ्य ::

1- यह कि प्रतिनिगरानीकर्ता द्वारा निगरानीकर्तागण के विरूद्ध माननीय अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अनविुभागीय अधिकारी महोदय नसरूल्लागंज के न्यायालय मे ग्राम सातदेव तहसील नसरूल्लागंज जिला सीहोर की भूमि सर्वे नं. 214 ,257/4/1/2 रकबा- 2.023 हेक्टे,मे से 3 एकड भूमि के संबंध मे प्रकरण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि निगरानीकर्तागण के पिता द्वारा उपरोक्त भूमि 3 एकड भूमि छल कपट कर धोखे से बगैर प्रतिफल के पंजीकृत विकय पत्र दिनांक- 27/06/2003 को निष्पादित कराकर उसका नामांतरण करा लिया गया है।

2- यह कि निगरानीकर्तागण द्वारा उपरोक्त प्रकरण मे उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रतिनिगरानीकर्ता को उक्त 3 एकड भूमि का विकय मूल्य 1,83,000/- रूपये प्रदान कर विधिवत पंजीकृत विकय पत्र दिनांक -27/6/2003 का निष्पादन कराया गया है तथा उसका नामांतरण पंजी कमांक 21 दिनांक- 17/2/2005 पर

निर..............2

नर.................3

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 3056

प्रकरण कमांक निगरानी –तीन/2015 जिला–सीहोर

स्थान तथा दिनांक	रामाधार कार्यवाही तथा आदेश छोटेलाला	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4–9–2015	आवेदक की ओर से श्री गुलाब सिंह चौहान अभिभाषक उपस्थित । आवेदक अभिभाषक को सुना गया । आवेदक अभिभाषक द्वारा वही तर्क प्रस्तुत किए जो निगरानी मेमों में अंकित है । निगरानी मेमों में अंकित तथ्यों पर विचार किया गया एवं निगरानी मेमो के संलग्न अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित आदेश दिनांक–6.7.15 एवं 11.8.15 का अवलोकन किया गया । आदेश दिनांक–6.7.15 से आदेश 7 नियम 14 आवेदन स्वीकार किया गया है तथा आदेश दिनांक–11.8.15 से अनावेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को प्रदर्शित कराये जाने का निवेदन स्वीकार किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी के उक्त दोनों आदेश अंतिम आदेश न होकर अंतरिम आदेश है अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेशों से किसी भी पक्ष के हित वर्तमान में किसी भी प्रकार से प्रभावित हो रहे हों ऐसी वर्तमान में प्रकरण में कोई सम्भावना नहीं है। उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों अनुविभागीय अधिकारी के आदेशों में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रकरण में ग्राह्यता का पर्याप्त आधार न होने से अग्राह्य किया जाता है । पक्षकार सूचित हों । सदस्य	